

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 507]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2020 — आश्विन 23, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 15 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ-13-23/2012/आ.प्र./1-3. — छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (क्र. 13 सन् 2013) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 15 के उप-नियम (6) के परन्तुक में, शब्द “एक माह” के स्थान पर, अंक एवं शब्द “15 दिन” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 15 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ-13-23/2012/आ.प्र./1-3. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-13-23/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक 15-10-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 15th October 2020

NOTIFICATION

No. F13-23/2012/R.C./13. — In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Act, 2013 (No. 13 of 2013), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Rules, 2013, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In proviso of sub-rule (6) of rule 15, for the words "one month", the figure and word "15 days" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAMALPREET SINGH, Secretary.